

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 23 अक्टूबर 2017

विषय:- कन्नौज में तिर्वा-बेला मार्ग (एन0एच0-234) किमी0 142 से 123 तक 4 लेन चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 9.5 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/41/2017/एफसी/52, दिनांक 19-7-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयक प्रकरण में की गयी कतिपय आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-535/11-सी-कन्नौज/21661/2016, दिनांक 24-8-2017 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 07-9-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव की (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-2194(1)/14-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
/ (मनोज कुमार सिंह)
अनुसचिव